# कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 2372/ 14–1, बरेली, दिनांक, 30/ दिसम्बर/ 2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– बदायूँ में चन्दौसी–बदायूँ मार्ग एस0एच0– 43 किमी0 59 पर ग्राम मुडिया के खसरा संख्या–210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू.पी./06/10/2017/एफ.सी./639 दिनॉक 24.11.17 तथा आपकी पृष्ठाकंन पत्र संख्या– 1463/बदायूँ/21110/2016 दिनॉक 29.11.2017.

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या– 1701/14–1 दिनॉक 15.12.2017 (जो इस कार्यालय में दिनांक 27–12–2017 को प्राप्त हुआ है) के द्वारा वर्णित आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रहा है।

| क्0सं0 | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | टोपोशीट की मूल प्रति संलग्न नहीं की गयी है। | टोपोशीट की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। |

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(वी0के0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 2372 (1)/14–1, दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बदायूँ को उनके पत्रांक 1701/14–1 दिनांक 15–12–2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।